छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 79 प्रकरण क्रमांक– **SM-PRO-2023-01944**

आवेदक : छ.ग. रेरा विरूद्ध मोहम्मद आरिफ उर्फ पप्पु खान, पिता–श्री अत्ताउल रहमान खान, अध्यक्ष–शास्त्री बाजार सब्जी एवं फल थोक व्यापार क्ल्याण संस्था, पता–ए.आर. अपार्टमेंट, संजय नगर, थाना–टिकरापारा, जिला–रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट – ''शास्त्री बाजार सब्जी एवं फल थोक व्यापार क्ल्याण संस्था '', पता–जिला–रायपुर

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
26/03/2025	– प्रकरण प्रस्तुत। – अनावेदक द्वारा कोई उपस्थित नहीं। – प्राधिकरण के तकनीकी दल द्वारा स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत। अवलोकन किया गया। अनावेदक के विरूद्ध प्राधिकरण के समक्ष प्रकरण क्रमांक–M-PRO-2023-01929 में सुनवाई पश्चात् दिनाँक 13.09.2023 को अंतिम आदेश पारित किया गया, जिसमें ''अनावेदक द्वारा संस्था के अध्यक्ष के रूप में संस्था की ओर से धारा–03 का उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि अधिनियम की धारा–59(1) के अधीन दंडनीय है। अतः प्राधिकरण विचारण पश्चात् यह अभिनिश्चित करता है कि संस्था शास्त्री बाजार सब्जी एवं फल थोक व्यापारी कल्याण सोसायटी को 0.25 लाख रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया जाये, अनावेदक संस्था की ओर से उक्त शास्ति शासन के पक्ष में एक माह के भीतर जमा करते हुये, प्रोजेक्ट को प्राधिकरण में पंजीयन की कार्यवाही करे। निर्माण कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से व्ययन/अंतरण पर रोक लगाई जाती है। इस संबंध में रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा को निर्देश दिया जाता है कि समुचित कार्यवाही करें।'' अनावेदक के विरूद्ध धारा–03 का उल्लंघन मानकर राशि 0.25 लाख रूपये शास्ति अधिरोपित किया गया है। अतएव अनावेदक के विरूद्ध शास्ति अधिरोपित कर दण्डित किया जा चुका है, इसलिये प्रकरण में पृथक से कार्यवाही कर	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 79 प्रकरण क्रमांक– **SM-PRO-2023-01944**

आवेदक : छ.ग. रेरा विरूद्ध मोहम्मद आरिफ उर्फ पप्पु खान, पिता–श्री अत्ताउल रहमान खान, अध्यक्ष–शास्त्री बाजार सब्जी एवं फल थोक व्यापार क्ल्याण संस्था, पता–ए.आर. अपार्टमेंट, संजय नगर, थाना–टिकरापारा, जिला–रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट – ''शास्त्री बाजार सब्जी एवं फल थोक व्यापार क्ल्याण संस्था '', पता–जिला–रायपुर

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। अनावेदक द्वारा शास्ति राशि जमा कर रसीद प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन हेतु पृथक से प्रकरण संघारित कर न्याय निर्णायक अधिकारी को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावे। – प्रकरण की कार्यवाही समाप्त कर नस्तीबद्ध किया गया। – अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे। सही / – (धनंजय देवांगन) सदस्य सही / – (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	